(48)

समक्ष अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.केम्प भोपाल

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1. मकसूद हसन खान पिता मेहमूद खान
2. मक्बूल हसन खान पिता मेहमूद खान

दोनों निवासी वार्ड नं0–4,मस्जिद मोहल्ला सिवनीमालवा,

तह0 सिवनीमालवा,जिला होशंगाबाद ....पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

जुबेदा बी पुत्री गुलाब खॉ (मृत) वारसान

1. रहमन उल्लाह आ0 अहमद खॉ
2. अकरम उल्लाह आ. अहमद खॉ
3. ताहिरा बेगम पुत्री अहमद खॉ

तीनों निवासी सिवनीमालवा

तहसील सिवनीमालवा,जिला होशंगाबाद ....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.।

माननीय अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग,होशंगाबाद द्वारा रा.प्र.क.–53अ / 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 जिसकी जानकारी 01.08.2017 को मिली, एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा उपरोक्त निगरानी प्रकरण 20अ–6 वर्ष 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2005 की पुष्टि की है एवं तहसीलदार महोदय के रा.प्र.क.5अ–6 वर्ष 1995–96 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2005 की पुष्टि की है,से व्यथित होकर निम्न आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-6114/2018/होशंगाबाद/रू.नि. [मकसूद हसन/ जुबैदबी]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-05-19	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0पी0यादव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-7-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष कलेक्टर के निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी जिसे अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर खारिज किया है कि निगरानी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । रीडर अध्यक्ष	